अध्याय IV

# लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

## 4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण में लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

## 4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता

छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिंता के नियम 182 में प्रावधान है की जहाँ सहायता अनुदान (जीआईए) वार्षिक अथवा अनावर्ती हो एवं केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया है, इसे अगले वर्ष, जिससे अनुदान संबंधित है, के 30 सितम्बर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत करेगा।

मार्च 2022 तक दिए गए सहायता अनुदान और मौजूदा प्रावधान के अनुसार देय सभी उ.प्र.प. (236) को मार्च 2023 तक निस्तारित कर दिया गया। आगे, उपरोक्त मौजूदा प्रावधानों पर विचार करते हुए, वर्ष 2022–23 के दौरान आहरित किये गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. इस वर्ष देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2023 तक बकाया उ.प्र.प. की स्थिति शून्य है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति एवं उनके उपयोग का पता लगाने के लिए, ऊर्जा विभाग के अभिलेखों की एक परीक्षण जांच की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021–22 में दो प्रमुख योजनाओं "सौर सुजला योजना" और "सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान" के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण (क्रेडा) को ₹496.73 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया।उपरोक्त दो योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा अगस्त 2022 में महालेखाकार को पूरी राशि यानी ₹496.73 करोड़ के उ.प्र.प. जमा किए गए थे। हालांकि, ₹24.37 करोड़ की राशि का वास्तविक उपयोग क्रेडा द्वारा बाद के महीनों (अक्टूबर 2022 तक) में किया गया।

इससे पता चलता है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र निधियों के वास्तविक उपयोग के बिना जारी किए गए थे और अनुदान के प्रति निधियों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई उचित निगरानी नहीं की गई थी।

## 4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (स.आ.दे.) के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक देयकों (वि.आ.दे.) (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देना है।

31 मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ शासन के 12 विभागों ने 471 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध ₹306.67 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों कों जमा नहीं किया था। वर्ष 2022–23 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग–वार जानकारी **परिशिष्ट 4.1** में दी गयी है। पाँच प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित वि.आ.दे. की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है।

**चार्ट 4.1 : पाँच प्रमुख विभागों से संबन्धित लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक**

**(₹ करोड़ में)**

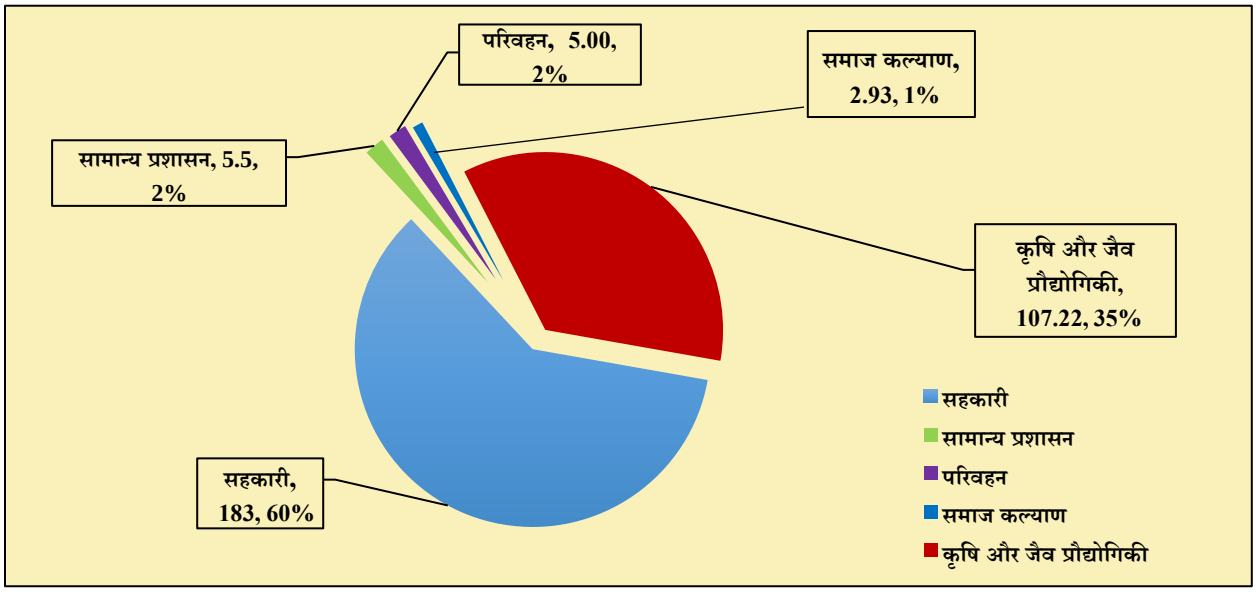


**स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें**

इसके अलावा, उपरोक्त पांच विभागों में से, वि.आ.दे. (51 वि.आ.दे.) की प्रमुख लंबित राशि क्रमशः ₹183 करोड़ और ₹107.22 करोड़ सहकारी एवं कृषि और जैव–प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित थी जैसा कि **चार्ट 4.1** में दिखाया गया है। इसके अलावा, वि.आ.दे. में से ₹122.29 करोड़ की राशि के 309 वि.आ.दे. अभी भी नवंबर 2023 तक लंबित थे।

वर्ष 2022–2023 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष–वार जानकारी **तालिका 4.1** में दिया गया है।

**तालिका 4.1 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | वर्ष | प्रारंभिक शेष | | योग (वृद्धि) | | निकासी | | अंतः शेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | वर्ष 2020–21 तक | 315 | 201.59 | 208 | 2,947.73 | 63 | 2,853.79 | 460 | 295.53 |
| 2 | 2021–22 | 460 | 295.53 | 265 | 2,556.55 | 369 | 2,665.23 | 356 | 186.85 |
| 3 | 2022–23 | 356 | 186.85 | 531 | 3,492.42 | 416 | 3,372.60 | 471 | 306.67 |

**स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें**

31 मार्च 2023 की स्थिति में, ₹306.67 करोड़ के 471 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, जिसमें से 2 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.02 करोड़), 35 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.58 करोड़), 39 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.38 करोड़), 126 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹107.73 करोड़) एवं 269 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹197.96 करोड़) क्रमशः 2017–18, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 से संबंधित है।

दो विभागों के स.आ.दे./वि.आ.दे. जमा करने से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

**कृषि विकास और किसान कल्याण एवं जैव–प्रौद्योगिकी विभाग** ने वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान 48 स.आ.दे. निकाले थे। 48 स.आ.दे. में से **कृषि संचालनालय** ने वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना (बीपीकेवाई), कृषि मशीनीकरण उप–मिशन, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि योजनाओं के तहत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 31 स.आ.दे. निकाले थे, जिनकी राशि ₹106.82 करोड थी। हालांकि, सभी 31 स.आ.दे. के विरुद्ध वि.आ.दे 17 से 19 महीने की समाप्ति के बाद भी अक्टूबर 2023 तक जमा नहीं किए गए थे।

विभाग ने जवाब दिया कि स.आ.दे. से आहरित राशि पीएफएमएस के माध्यम से जिला कार्यालयों को हस्तांतरित की गई थी जिसे बाद में अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी उत्तर दिया कि लंबित मामलों की संख्या अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों से वाउचर प्राप्त होने में विलंब के कारण थी और यह भी कहा कि महालेखाकार को वि.आ.दे. प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है।

**तकनीकी शिक्षा विभाग** ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना (एमएमयूएसआरबीएबाई) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान ₹2.93 करोड़ रुपये के दो स.आ.दे. निकाले थे। हालांकि, दिसंबर 2022 में निकाले गए ₹ दो करोड़ के एक स.आ.दे. के विरुद्ध वि.आ.दे. अक्टूबर 2023 तक जमा नहीं किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया कि लंबित वि.आ.दे. जल्द से जल्द महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्धारित समय सीमा के भीतर वि.आ.दे. को प्रस्तुत न करना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना को भी बढ़ाता है और इसलिए, वि.आ.दे. की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वि.आ.दे. के गैर–प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।

## 4.4 लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य शासन के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 29 जिला कोषालयों, 53 वन मंडलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा 157 अन्य संभागों[1] द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से संकलित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सभी जिला कोषागारों द्वारा एक से 12 दिन, 29 लोक निर्माण संभागों द्वारा एक से आठ दिन, 35 जल संसाधन संभागों द्वारा एक से 11 दिन, 25 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संभागों द्वारा एक से सात दिन, 25 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा एक से 10 दिन तथा 19 वन मंडलों द्वारा एक से 13 दिन तक मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब हुआ।

राज्य सरकार को बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है, और अपने स्वयं के बजट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समय पर लेखाओं की प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

## 4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों मे बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके अंतिम लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है । यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है

प्रेषण में उन सभी लेन–देनों को शामिल किया जाता है, जो समायोजित लेखा शीर्ष है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है ।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष को दर्शाते है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों मे बकाया डेबिट एवं बकाया क्रेडिट को अलग–अलग समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकडों की स्थिति लघु शीर्ष वार **तालिका 4.2** में दी गयी है।

**तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि**

**(₹ करोड़ में)**

| मुख्य शीर्ष 8658–उचंत लघु शीर्ष | 2020–21 | | 2021–22 | | 2022–23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत | 75.32 | 15.59 | 68.32 | 14.46 | 67.19 | 36.13 |
| निवल | नामे 59.73 | | नामे 53.86 | | नामे 31.06 | |
| 102–उचंत लेखा–सिविल | 29.62 | 0.17 | 0.64 | 0.17 | 0.00 | 5.93 |

58 भवन एवं सड़क निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संसाधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **निवल** | **नामे 29.45** | | **नामे 0.47** | | **जमा 5.93** | |
| **109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय** | 1.61 | 0.04 | –1.02 | –0.18 | –1.13 | –0.08 |
| **निवल** | **नामे 1.57** | | **जमा 0.84** | | **जमा 1.05** | |
| **110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय** | 13.62 | 0.01 | 8.35 | 0.01 | 4.44 | 0.00 |
| **निवल** | **नामे 13.61** | | **नामे 8.34** | | **नामे 4.44** | |
| **112–स्त्रोत पर कर कटौती** | 0.00 | 63.14 | 0.00 | 84.53 | 0.00 | 140.14 |
| **निवल** | **नामे 63.14** | | **जमा 84.53** | | **जमा 140.14** | |
| **113–भविष्य निधि उचंत** | 20.62 | 0.00 | 20.03 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
| **निवल** | **नामे 20.62** | | **नामे 20.03** | | **नामे 12.86** | |
| **123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना** | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.46 |
| **निवल** | **जमा 0.27** | | **जमा 0.31** | | **जमा 0.46** | |
| **129–सामग्री क्रय भुगतान उचंत लेखा** | 0.00 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | 0.00 | 81.67 |
| **निवल** | **जमा 81.67** | | **जमा 81.67** | | **जमा 81.67** | |
| **मुख्य शीर्ष 8782–नगद प्रेषण** | | | | | | |
| **102–लोक निर्माण प्रेषण** | 74.33 | 9.13 | 86.37 | 15.88 | 53.75 | 14.83 |
| **निवल** | **नामे 65.20** | | **नामे 70.49** | | **नामे 38.92** | |
| **103–वन प्रेषण** | 50.44 | 5.56 | 39.86 | 6.45 | 44.53 | 5.24 |
| **निवल** | **नामे 44.88** | | **नामे 33.41** | | **नामे 39.29** | |

**स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे ।**

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का गैर–निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता को प्रभावित करता है।

## 4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों मे, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते है। कोषालय संहिता भाग–एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, संचित निधि को ऋणात्मक डेबिट कर व्यक्तिगत जमा खाता खोला जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट कर बंद किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय अवधि वर्ष 2018–23 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति **तालिका 4.3** प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2018–23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

| क्रं सं | वर्ष | 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष | | वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियॉं | | वर्ष के दौरान संवृतियॉं/संवितरण | | 31 मार्च को जमा शेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2018–19 | 263 | 1,757.00 | 02 | 508.61 | 34 | 374.51 | 231 | 1,891.10 |
| 2 | 2019–20 | 231 | 1,891.10 | निरंक | 272.05 | 08 | 577.89 | 223 | 1,585.26 |
| 3 | 2020–21 | 223 | 1,585.26 | 03 | 502.34 | 18 | 526.65 | 208 | 1,560.95 |
| 4 | 2021–22 | 208 | 1,560.95 | 02 | 287.56 | 71 | 444.13 | 139 | 1,404.38 |
| 5 | 2022–23 | 139 | 1,404.38 | 02 | 250.56 | 10 | 290.74 | 131 | 1,364.20 |

**स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संबन्धित वर्षों के संकलित आकड़ें**

**तालिका 4.3** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 141 खातों को बंद किया गया । 31 मार्च 2023 तक, 131 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,364.20 करोड़ था।

परिवहन उपकरणों की खरीद के लिए 31 मार्च 2023 को मेजर हेड 2055 से डेबिट द्वारा पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत जमा खाते में ₹12.91 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में अंतरित न किए जाने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

### 4.6.1 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ

कुल 131 व्यक्तिगत जमा खातों में से 40 व्यक्तिगत जमा खाते भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। चार व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियों का कोषागार वार विवरण **तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4: व्यक्तिगत जमा खाते में भू–अर्जन से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | प्रशासक का नाम | वर्ष | 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष | रसीद | भुगतान | 31 मार्च को शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कलेक्टर, धमतरी | 2018-19 | 8.23 | 4.33 | 0.15 | 12.41 |
| | | 2019-20 | 12.41 | 0.49 | 8.09 | 4.81 |
| | | 2020-21 | 4.81 | 2.82 | 0.00 | 7.63 |
| | | 2021-22 | 7.63 | 1.26 | 4.04 | 4.85 |
| | | 2022-23 | 4.85 | 0.70 | 1.16 | 4.39 |
| 2 | कलेक्टर, कांकेर | 2018-19 | 12.43 | 0.00 | 0.15 | 12.28 |
| | | 2019-20 | 12.28 | 0.00 | 1.38 | 10.90 |
| | | 2020-21 | 10.90 | 1.87 | 3.68 | 9.09 |
| | | 2021-22 | 9.09 | 1.58 | 6.92 | 3.75 |
| | | 2022-23 | 3.75 | 0.00 | 0.56 | 3.19 |
| 3 | कलेक्टर, महासमुंद | 2018-19 | 49.37 | 7.80 | 9.43 | 47.73 |
| | | 2019-20 | 43.73 | 7.14 | 25.66 | 29.21 |
| | | 2020-21 | 29.21 | 3.49 | 7.67 | 25.03 |
| | | 2021-22 | 25.03 | 14.37 | 10.47 | 28.93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 28.93 | 14.86 | 21.83 | 21.96 |
| 4 | कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) | 2018-19 | 58.86 | 10.43 | 5.91 | 63.38 |
| | | 2019-20 | 63.38 | 2.40 | 0.00 | 65.78 |
| | | 2020-21 | 65.78 | 1.65 | 1.35 | 66.08 |
| | | 2021-22 | 66.08 | 2.76 | 0.00 | 68.84 |
| | | 2022-23 | 68.84 | 4.13 | 5.33 | 67.64 |

**स्रोतः व्यक्तिगत जमा खाते के संबंधित प्रशासक के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी**

धमतरी, कांकेर, महासमुंद और अंबिकापुर (सरगुजा) के भूमि अधिग्रहण अधिकारी/कलेक्टर से एकत्रित सूचना से पता चला है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित पीडी खाते में पड़ी निधियों का मुख्य कारण न्यायालय में अवार्ड की प्रक्रिया में विलंब और भूमि अवार्ड पारित होने के बाद संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि का दावा न करना था।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़–सरगुजा पावर लि की विद्युत परियोजना रद्द होने के कारण कलेक्टर अंबिकापुर (सरगुजा) के पीडी खातों में ₹21.84 करोड़ पड़े हुए थे जिसके लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम राशि जमा करा दी गई थी।

### 4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय सहिंता भाग 1 के नियम 543 के अनुसार, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 131 व्यक्तिगत जमा खातों में से एक व्यक्तिगत जमा खाता (भूमि अभिलेख, अंबिकापुर) जिसमें ₹0.35 करोड़ की शेष राशि है, जो 31 मार्च 2023 तक तीन साल से अधिक समय तक असंचालित रहा।

राज्य सरकार को व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए और असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

## 4.7 केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से संबंधित लेन–देन का लेखांकन

केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों की सूची निर्धारित करती है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, इन राशियों में से, रिज़र्व के अलावा अन्य आवंटन, कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रासंगिक योजना लघु शीर्ष को विपरीत डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में जमा किये जाते है।

भारत सरकार ने 2022–23 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि को ₹86.92 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खाते में 2021–22 की अवधि से संबंधित ₹160.65 करोड़ रुपये "8449–अन्य जमा–103 सबवेंशन को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तीय सहायता" को हस्तांतरित किए, लेकिन

वर्ष 2022–23 के लिए कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। इस प्रकार, लोक लेखा में ₹86.92 करोड़ रुपए की राशि के अनुदानों का अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिक विवरण और ₹86.92 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा कम देखा गया।

भारत सरकार से प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा 2019–23 के दौरान सार्वजनिक खाते में "8449–अन्य जमा–103 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तीय सहायता" में हस्तांतरित निधि का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

**तालिका 4.5: 2019–23 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि का विवरण**

**( ₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | प्रारंभिक शेष (राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण हेतु लंबित राशि) | भारत सरकार से प्राप्त अनुदान | राज्य सरकार द्वारा 8449–अन्य जमा–103 को हस्तांतरित की गई निधि | अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019–20 | 14.02 | 371.61 | 198.55 | 187.08 |
| 2 | 2020–21 | 187.08 | 234.92 | 296.54 | 125.46 |
| 3 | 2021–22 | 125.46 | 230.29 | 125.47 | 230.28 |
| 4 | 2022–23 | 230.28 | 86.92 | 160.65 | 156.55 |

**स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), *छ.ग.* द्वारा संकलित आकड़े**

## 4.8 लघु शीर्ष –800 में समायोजन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का प्रकटीकरण नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 44 राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की गई राशि ₹7,715.17 करोड़ (वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य की ₹93,877.14 करोड की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.22 प्रतिशत) को लघु शीर्ष –800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

इसी प्रकार, 26 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गयी राशि ₹539.21 करोड़ (वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य की ₹98,605.33 करोड की कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय़ का 0.55 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा, वर्ष 2018–23 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.2** एवं **4.3** में दी गई है:

चार्ट 4.2: वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

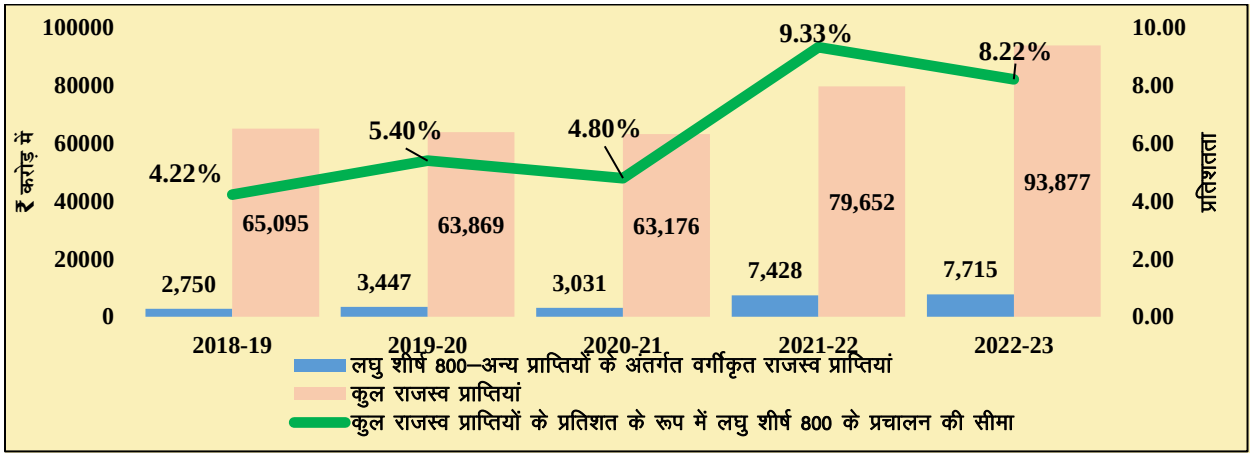


स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.3: वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का संचालन

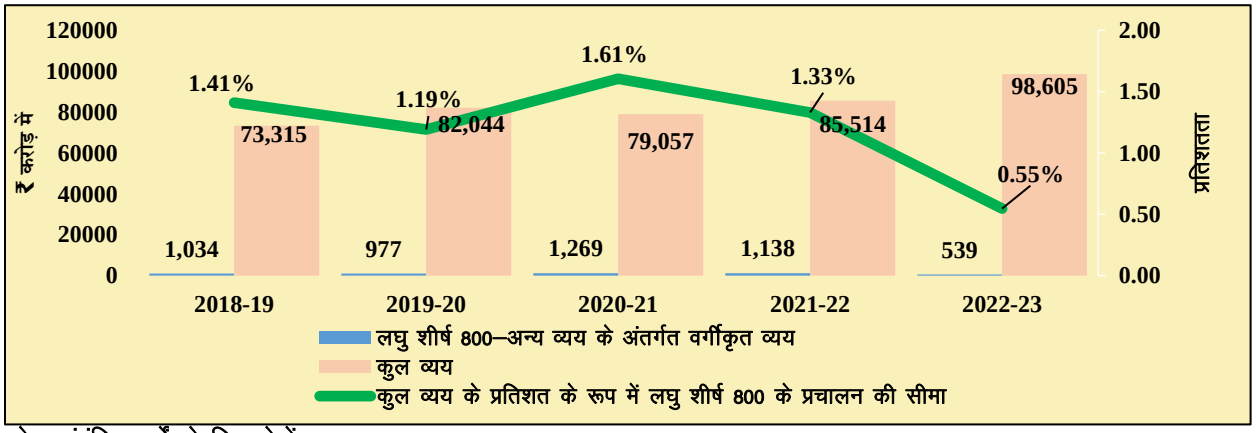


स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

प्राप्तियों में, 2021–22 में 9.33 प्रतिशत से घटकर 2022–23 के दौरान कुल प्राप्तियों का 8.22 प्रतिशत हो गया है। व्यय पक्ष पर, यह 2021–22 में 1.33 प्रतिशत से घटकर 2022–23 के दौरान कुल व्यय का 0.55 प्रतिशत हो गया। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय की बुकिंग गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे खातों की पारदर्शिता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

### 4.8.1 लघु शीर्ष – 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग

#### (i) लघु शीर्ष 800 के तहत रॉयल्टी और किराया रसीद की बुकिंग

संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, खानों से प्राप्त रॉयल्टी को प्रमुख शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग–लघु शीर्ष 102/107– खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य और लघु शीर्ष 0853–800 से सम्बंधित चालानों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2022–23 के दौरान मुख्य शीर्ष 0853–800 के तहत ₹4,397.90 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, रॉयल्टी

और किराए की प्राप्तियां ₹2.72 करोड़ को लघु शीर्ष 102/107–खनिज रियायत शुल्क, प्रमुख और लघु खनिजों के लिए किराए और रॉयल्टी के बजाय लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया, जैसा कि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में निर्धारित है। विवरण **तालिका 4.6** में दिखाया गया है।

**तालिका 4.6: लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज राजस्व प्राप्तियों का विवरण**

| क्र.सं | कोषागार/बैंक का नाम | मामलों की संख्या | दर्ज की गई वस्तुओं का विवरण | लघु शीर्ष में दर्ज किया जाए | 800 में दर्ज की गई कुल प्राप्तियां (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गरियाबंद | 09 | अधिशुल्क एवं किराया की प्राप्तियां | प्रमुख खनिजों के लिए 102/लघु खनिजों के लिए 107 | 125.61 |
| 2 | रायपुर | 43 | | | 23.69 |
| 3 | अंबिकापुर | 08 | | | 26.53 |
| 4 | गौरेला–पेंड्रा–मरवाही | 07 | | | 32.27 |
| 5 | जांजगीर–चंपा | 07 | | | 19.50 |
| 6 | रायगढ़ | 13 | | | 18.39 |
| 7 | कोरिया | 13 | | | 11.99 |
| 8 | दुर्ग | 03 | | | 5.29 |
| 9 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 24 | | | 6.99 |
| 10 | कोण्डागॉव | 01 | | | 0.36 |
| 11 | राजनंदगांव | 01 | | | 0.56 |
| 12 | बालोद | 01 | | | 0.50 |
| **कुल** | | **130** | | | **271.68** |

**स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), *छ.ग.* द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडे**

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) के साथ पठित छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) में कहा गया है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को और कुल रॉयल्टी राजस्व के शेष 67 प्रतिशत का भुगतान संबंधित पंचायत और जनपद पंचायत को वितरित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य शीर्ष 0853 (अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग) के तहत लघु शीर्ष 102/107 (प्रमुख/लघु खनिज रियायत शुल्क किराए और रॉयल्टी) के गलत वर्गीकरण के कारण 800 (अन्य प्राप्तियां) में करने से ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को हुई हानि को नकारा नहीं जा सकता।

### (ii) अन्य प्राप्तियों को दर्ज करने के लिए समर्पित लघु शीर्ष 600 का उपयोग न किया जाना

संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, लघु शीर्ष "600–अन्य" मुख्य शीर्ष 0852–उद्योग– उप मुख्य शीर्ष 08– उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत निर्धारित है। इसके अलावा, मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, मुख्य शीर्ष–0852 के उप मुख्य शीर्ष 08 के अंतर्गत कोई लघु शीर्ष 800 नहीं है। 2022–23 की वित्त लेखाओं अनुसार, ₹ 13.53 करोड़ को लघु शीर्ष 600–अन्य के बजाय 2022–23 के दौरान मुख्य शीर्ष 0852–08–800 के तहत दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹5.73 करोड़ (कुल दर्ज राशि का 42 फीसदी) की राशि के 279 चालानों की जांच की और पाया कि, अन्य प्राप्तियों जैसे पट्टा किराया, भूमि आवंटन शुल्क, सुरक्षा जमा, भूमि हस्तांतरण शुल्क इत्यादि को दर्ज करने के लिए निर्धारित मुख्य और उप–मुख्य शीर्ष 0852–08 के अंतर्गत लघु शीर्ष 600 के बजाय लघु शीर्ष 800 का उपयोग किया गया।

## 4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

म.प्र. बजट नियमावली भाग–1 (छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाए गए अनुसार) के नियम 6.7.1 में कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) के लेखाओं में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के साथ मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीओ को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।

जबकि 2021–22 के दौरान प्राप्तियों का 62.93 फीसदी और संवितरण का 85.40 फीसदी का मिलान किया गया, वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्तियों के संबंध में ये आंकड़े 86.14 फीसदी और संवितरण के संबंध में 86. 70 फीसदी थे।

तीन साल की अवधि 2020–23 के दौरान सीओ द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति **चार्ट 4.4** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 4.4 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2020–23 के दौरान मिलान की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

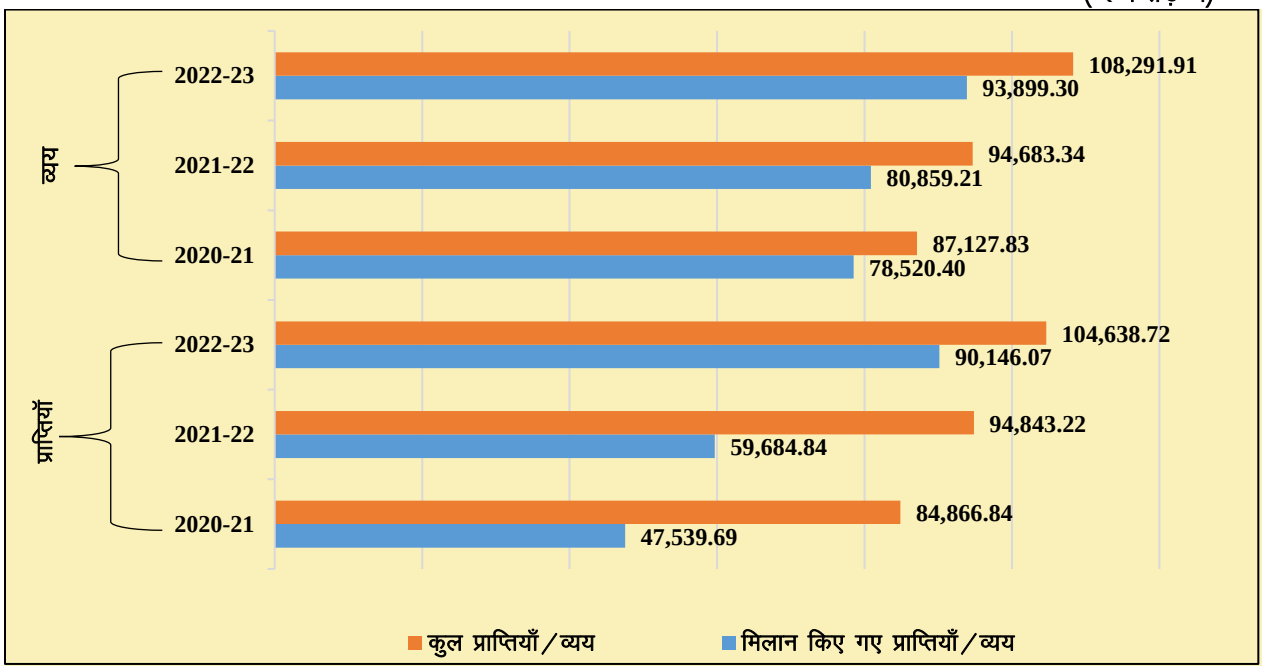


**स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), *छ.ग.* द्वारा संकलित आंकडे**

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी **तालिका 4.7** में दिया गया है ।

तालिका 4.7 : प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकडों के मिलान के स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | नियंत्रक अधिकारियों की संख्या | पूर्ण मिलान | अपूर्ण मिलान | मिलान नहीं किया गया | कुल प्राप्तियाँ/व्यय | मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय | मिलान प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्राप्तियॉ** | | | | | | | |
| **2020-21** | 40 | 00 | 24 | 16 | 84,866.84 | 47,539.69 | 56.02 |
| **2021-22** | 40 | 03 | 31 | 06 | 94,843.22 | 59,684.84 | 62.93 |
| **2022-23** | 54 | 52 | 00 | 02 | 104,638.72 | 90,146.07 | 86.14 |
| **व्यय** | | | | | | | |
| **2020-21** | 94 | 43 | 27 | 24 | 87,127.83 | 78,520.40 | 90.12 |
| **2021-22** | 94 | 42 | 48 | 04 | 94,683.34 | 80,859.21 | 85.40 |
| **2022-23** | 94 | 87 | 00 | 07 | 108,291.91 | 93,899.30 | 86.70 |

**स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकडे**

आंकडों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में सहिंता प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता के कारण ना केवल प्राप्तियॉ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बल्कि बजटीय प्रक्रिया के उद्देश्य को भी विफल करती है।

## 4.10 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2023 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखाओं अनुसार, राज्य सरकार के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार नकद शेष के बीच ₹0.32 करोड़ (शुद्ध जमा) का अंतर था। इस अंतर का मिलान किया गया और पाया गया कि यह अंतर मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को दी गई गलत रिपोर्टिंग के कारण था, जो राज्य सरकार के नकदी शेष के संधारण के लिए जिम्मेदार है।

## 4.11 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) जवाबदेही तंत्र को सुधारने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2023 के अंत तक, तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन मानकों और इनके अनुपालन की सीमा का विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया है।

**तालिका 4.8: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन**

| क्र. स. | भारत सरकार के लेखांकन मानक (भा.स.ले.मा) | भारत सरकार के लेखांकन मानकों का सार | स्थिति | गैर अनुपालन के प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **भा.स.ले.मा–1**<br>सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभुति (गारंटी)–प्रकटीकरण आवश्यकता | इस मानक के अनुसार सरकार को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया के साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। | 11 संस्थानों, जिनके लिए सरकार ने गारंटी दी थी, उन्होंने भा.स.ले.मा–1 के निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी है। | भा.स.ले.मा–1 का अनुपालन न करने के कारण, संस्थानों के लिए मार्च 2023 तक वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की राशि के साथ–साथ वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन, निर्वहन, लागू और बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका। |
| 2 | **भा.स.ले.मा–2**<br>सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण | सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों मे राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के बिना ख्याल किये वर्गीकृत किया जाये। | राज्य सरकार ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान ₹2,883.76 करोड़ की स.अनु. राशि वितरित की है और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में हिसाब लगाया है। | भा.स.ले.मा–2 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹ 2,883.76 करोड़ से अधिक बताया गया। |
| 3 | **भा.स.ले.मा–3**<br>सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम | यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकीकृत लेखांकन प्रथा सुनिश्चित करने से सम्बंधित है। | 38 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने भा.स.ले.मा–3 के निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है. | भा.स.ले.मा–3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता आती है। |

## 4.12 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने कई स्वायत्त निकाय (एबी) स्थापित किए हैं, जिनमें से 32 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है। जून 2023 तक 28 स्वायत्त निकायों के लंबित खातों की स्थिति **तालिका 4.9** में दी गई है और विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 4.2** में दिखाई गई है।

**तालिका 4.9: स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया**

| क्र.सं | निकाय/प्राधिकरण का नाम | वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लंबित खातों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग | 22 |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | 82[2] |
| 3 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण | 01 |
| 4 | राज्य कैम्पा, छत्तीसगढ़ | 01 |

[2] छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखा सम्मिलित |

## 4.13 हानि तथा गबन आदि के मामले

सीजी वित्तीय संहिता खंड–I के नियम 22 और 23 में प्रावधान है कि सार्वजनिक निधि की हानि, दुरुपयोग और गबन के प्रत्येक मामले की सूचना महालेखाकार को देनी होगी। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण इमारतों, सड़कों और पुलों जैसी अचल संपत्ति की किसी भी गंभीर क्षति की सूचना महालेखाकार को दी जानी चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच एवं ऐसे नुकसान के कारणों और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों/कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रतिवेदन दिया जाता है।

31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹124.92 करोड़ की राशि के कुल 2,168 मामले लंबित थे, जो निर्णायक जांच और निपटान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबित मामलों का विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है। मामलों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की आयु–प्रोफ़ाइल और प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी और हानि में लंबित मामलों की संख्या को **तालिका 4.10** में संक्षेपित किया गया है।

**तालिका 4.10: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा**

**(₹ करोड़ में)**

| लंबित प्रकरणों की अवधि | | | | लंबित प्रकरणों की प्रकृति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्षों में | प्रकरणों की संख्या | राशि | | प्रकरणों की प्रकृति | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 0 – 5 | 270 | 2.14 | | चोरी | 123 | 0.54 |
| 5 – 10 | 242 | 50.90 | | सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि | 1,982 | 119.10 |
| 10 – 15 | 446 | 53.03 | | | | |
| 15 – 20 | 281 | 7.73 | | गबन | 63 | 5.28 |
| 20 – 25 | 194 | 4.39 | | | | |
| 25 से अधिक | 735 | 6.73 | | **लंबित प्रकरणों का योग** | **2,168** | **124.92** |
| **योग** | **2,168** | **124.92** | | | | |

**स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण**

2,168 मामलों में से, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमशः 609 और 39 मामले थे जो 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। 2,168 मामलों में से 297 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 2022–23 के दौरान छह मामलों में, विभिन्न विभागों ने ₹2.16 लाख वसूली की थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में बताया गया है।

## 4.14 ऑफ बजट उधार

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य संस्थाओं के ऋण /देनदारियों का भी अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान अपने बजटीय संसाधनों से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो सकती है। इस तरह के उधार सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। इस तरह की देनदारियों को बजट में बताए बिना बनाना, पारदर्शिता और अंतर–पीढ़ीगत समानता दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ–बजट उधार को बजट दस्तावेजों में

प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ बजट के इस तरह के पांच उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से ₹800 करोड़ रुपये और 728 फ्लैट खरीदने के लिए 2017–18 में इलाहाबाद बैंक से ₹195.00 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। कुल गारंटी राशि के मुकाबले, सीएचबी ने 31 मार्च 2023 तक क्रमशः ₹ 800 करोड़ और ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹472.14 करोड़ का ब्याज और मूलधन चुकाया है।

ख) इसी प्रकार, सरकार ने पुलिस के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों यानी इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़) और केनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को भी गारंटी जारी की। जून/जुलाई 2017 में (2027 तक वैध) सीपीएचसीएल ने ₹800 करोड़ की अधिकतम गारंटी राशि के मुकाबले मार्च 2023 तक कुल ₹644.54 करोड़ ऋण लिया है। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज ₹273.95 करोड़ बजट के माध्यम से चुका दिया है।

ग) इसके अलावा, सरकार ने फरवरी 2018 (दिसंबर 2024 तक वैध) में "प्रधानमंत्री आवास योजना" (पीएमएवाई–शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) को गारंटी जारी की, जिसमें से एसयूडीए ने 31 मार्च 2023 तक ₹1525 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने बजट से उपरोक्त ऋण के ब्याज और मूलधन के लिए ₹318.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया है।

घ) छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ₹5,225 करोड़ का ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़)। जिसमें से सीजीआरआईडीसीएल ने वर्ष 2022–23 के दौरान ₹1,500.87 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹53.67 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम को ₹3,427.28 करोड़ (2034–35 तक वैध) की गारंटी जारी की (जनवरी 2018)। उपरोक्त गारंटी के विरुद्ध निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड़ रुपये का ऋण लिया है (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़)। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक ₹ 567.27 करोड़ का ब्याज एवं मूलधन चुका दिया है।

च) छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी वर्षों में 31 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) (₹1000 करोड़) और छत्तीसगढ़ पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (सीएसपीटीसीएल) (₹500 करोड़) की देनदारियों (उस पर ब्याज सहित मूलधन) को बजट में प्रावधान करके चुकाने का आश्वासन

दिया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक सीएसपीजीसीएल और सीएसपीटीसीएल का क्रमशः ₹183.45 करोड़ और ₹116.55 करोड़ का ब्याज और मूलधन चुका दिया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से उधार ली गई धनराशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम बताया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि उधार धनराशि राज्य सरकार के ऋण खातों की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का बोझ बाद के वर्षों में बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण की अदायगी की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य सरकार पर 31 मार्च 2023 तक कुल बजटीय देनदारियों ₹1,01,696.43 करोड़ के अलावा ₹7,161.32 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 7.04 प्रतिशत) की शुद्ध बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,08,857.75 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में किसी भी ऑफ–बजट उधार का खुलासा नहीं किया गया है।

## 4.15 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2022–23 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार ₹14,646.63 करोड़ की राशि सीधे छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई। 2018–19 से 2022–23 तक ऐसी राशि के हस्तांतरण का रुझान **चार्ट 4.5** में दिखाया गया है।

**चार्ट 4.5: 2018–19 से 2022–23 तक सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान के हस्तांतरण के रुझान**

**(₹ करोड़ में)**

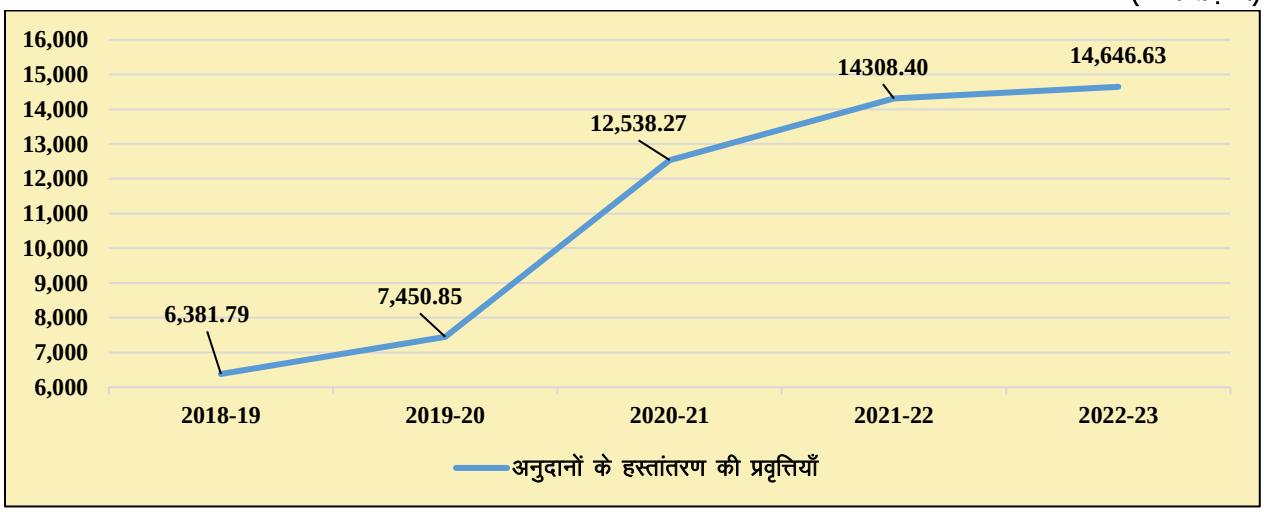


**स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकडे**

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण ₹ 338.23 करोड़ (2.36 प्रतिशत) बढ़ गया है।

## 4.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2008–09 से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जा रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अभी तक इन रिपोर्टों को चर्चा के लिए नहीं लिया है। (नवंबर 2023)

## 4.17 निष्कर्ष

*31 मार्च 2023 तक, ₹ 306.67 करोड़ के 471 वि.आ.दे. जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा वि.आ.दे. जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खाते जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और बर्बादी/दुर्विनियोजन/दुर्व्यवहार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।*

*31 मार्च 2023 तक, ₹1,364.20 करोड़ के समापन शेष के साथ 131 पीडी खाते अस्तित्व में थे। कुल पीडी खातों में से 40 पीडी खाते भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। पीडी खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग का जोखिम होता है।*

*सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का संचालन – 'अन्य प्राप्तियाँ' (₹7,715.17 करोड़ जो कुल राजस्व प्राप्तियों ₹93,877.14 करोड़ का 8.22 प्रतिशत है), और 'अन्य व्यय' (₹539.21 करोड़ है जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹98,605.33 करोड़ का 0.55 प्रतिशत है) ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता का उचित विश्लेषण अस्पष्ट कर दिया।*

*खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत ₹2.72 करोड़ और ₹5.73 करोड़ की बुकिंग उनके वर्गीकृत लघु शीर्ष 102/107– मुख्य/लघु खनिजों और लघु शीर्ष 600– अन्य के लिए मुख्य शीर्ष क्रमशः 0853 और 0852 के बजाय लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग में गलत वर्गीकरण देखा गया। गलत वर्गीकरण खातों को अपारदर्शी बना देता है और उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।*

*वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, प्राप्तियों के लिए केवल 86.14 प्रतिशत और व्यय के लिए 86.70 प्रतिशत का मिलान किया गया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान न करना सरकार के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर खराब प्रभाव डालता है और खातों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को जन्म देता है।*

*राज्य सरकार पर मार्च 2023 तक बकाया ₹1,01,696.43 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा ₹7,161.32 करोड़ की शुद्ध ऑफ–बजट देनदारियां हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, इसके आदेश पर लिए गए ऋणों, जिनके मूलधन और ब्याज चुकाने की गारंटी राज्य सरकार ने दी थी, के संबंध में अपनी देनदारियों का खुलासा नहीं किया है।*

## 4.18 अनुशंसाएं

**i.** राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को वि.आ.दे. को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें, एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

**ii.** खातें को प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई/अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चंत एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।

**iii.** राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखा पुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखाशीर्षों की पहचान हो सके।

**iv.** राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सके।

**v.** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ो का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन–देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।